

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेडा, जिला -

भीलवाडा

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

::आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नारेली व भूअभिलेख निरीक्षक नारेली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निम्बिका पटवार हल्का नारेली तहसील करेडा व जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 68 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	निम्बिका	68	जाबालिंग भगवत सिंह पुत्र बादर सिंह	बा. भगवान सिंह उर्फ भगवत सिंह पुत्र बादर सिंह

उपखण्ड अधिकारी
करेडा, जिला-भीलवाडा
करेडा

क्रमांक:- न्यायालय /2021 / 16

दिनांक:- 2/12/21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बा. भगवान सिंह उर्फ भगवत सिंह पुत्र बादर सिंह

उपखण्ड अधिकारी
करेडा, जिला-भीलवाडा
करेडा

